160

संख्या–1296 /XVI/11/7(32)/09

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
गोपेश्वर–चमोली।

उद्यान एवं रेशम अनुभागः–1 देहरादूनः दिनांक 26 सितम्बर,2011

विषयः–जड़ी–बूटी शोध एवं विकास संस्थान के मुनस्यारी स्थित पौधशाला में घेरबाड़ कार्य के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–315/ज0बू0सं0/11–4/2011–12, दिनांक–20–06–2011 एवं पत्र संख्या–541/ज0बू0सं0/11–4/2011–12, दिनांक–12–08–2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "जनपद पिथौरागढ़ मुनस्यारी स्थित जड़ी–बूटी पौधशाला में घेरबाड़" के कार्य में 45x45x5 मि0मी0 माप के ऐंगिल के स्थान पर 40x40x6 मि0मी0 माप के ऐंगिल का प्रयोग किये जाने की स्वीकृति का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि उद्यान एवं रेशम अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या–183/XVI-2/10/7(32)/09,दिनांक–01–06–2010 के द्वारा मुनस्यारी स्थित पौधशाला में घेरबाड़ के कार्य हेतु गठित आगणन की टी0ए0सी0 द्वारा औचित्यपूर्ण लागत ₹ 67.58 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसमें 45x45x5 मि0मी0 माप के ऐंगिल के प्रयोग की अनुमति प्रदान की गई थी। आपके द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में वित्त विभाग के टी0ए0सी0 द्वारा यह उल्लिखित किया गया है कि 45x45x5 मि0मी0 माप के ऐंगिल के स्थान पर 40x40x6 मि0मी0 माप के ऐंगिल का प्रयोग किये जाने पर योजना की औचित्यपूर्ण लागत ₹ 65.84 लाख हो जायेगा।

अतः इस सम्बन्ध में प्रश्नगत निर्माण कार्य में 45x45x5 मि0मी0 माप के ऐंगिल के स्थान पर 40x40x6 मि0मी0 माप के ऐंगिल का प्रयोग किये जाने की स्वीकृति इस शर्त की साथ प्रदान की जाती है कि इस योजना की अवशेष धनराशि ₹ 1.74 लाख (₹67.58 –₹65.84) ब्याज सहित राजकोष में जमा किया जायेगा।

तद्नुसार उक्त शासनादेश संख्या–183, दिनांक–01–06–2010 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

क्रमशः.....2